

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4979। नई दिल्ली, मंगलवार, दि

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2018/अग्रहायण 27, 1940

No. 4979]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6209 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है, कि लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 7 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा है;

और केन्द्रीय सरकार ने अन्तत: भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2953(अ), तारीख 19 जून, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को 20 जून, 2018 से छह मास की अविध के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग का लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार करना अपेक्षित है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 20 दिसम्बर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा .सं .एस-11017/07/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

7411 GI/2018 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2018

S.O. 6209(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Iron and Steel industry, which is covered under item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 20th June, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2953(E), dated the 19th June, 2018;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Iron and Steel industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 20th December, 2018.

[F. No. S-11017/07/2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.